न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —209 / 2020(2020 / 00315)
अनवान : —

1. सुन्दर पुत्र भजन लाल जाति बिश्नोई निवासी धांगड तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
2. सुमन पुत्री भजनलाल पत्नि सुन्दर जाति बिश्नोई निवासी धांगड हाल नाढोडी जिला फतेहाबाद
3. शादी लाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयांन जिला हिसार

—वादीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र चुन्नी जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान जिला हिसार
2. बृजलाल पुत्र चुन्नी जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान जिला हिसार
3. ओमप्रकाश पुत्र रामीदेवी पुत्री चुन्नी जाति बिश्नोई निवासी सदलपुर तहसील मण्डी आदमपुर
4. हेतराम पुत्र रामीदेवी पुत्री चुन्नी जाति बिश्नोई निवासी सदलपुर तहसील मण्डी आदमपुर
5. नेतराम पुत्र रामीदेवी पुत्री चुन्नी जाति बिश्नोई निवासी सदलपुर तहसील मण्डी आदमपुर
6. सुरस्ती देवी पुत्री रामीदेवी पुत्री चुन्नी जाति बिश्नोई निवासी सदलपुर तहसील मण्डी आदमपुर
7. चन्द्रावली पत्नि सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
8. रोशनी पुत्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
9. रोहताश पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
10. जगदीश चन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान त0 आदमपुर
11. सुमन देवी पुत्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
12. शलेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेड़ा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
13. बिरमा उर्फ भगवती पत्नि हनुमान जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान त0 आदमपुर
14. कमलादेवी पुत्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान त0 आदमपुर
15. नोरंगलाल पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान त0 आदमपुर
16. सुमनदेवी पुत्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान त0 आदमपुर
17. सन्तरो देवी पुत्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान त0 आदमपुर
18. पवन कुमार पुत्र सुगना देवी पुत्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी महलसरा तहसील आदमपुर
19. सचिन कुमार पुत्र सुगना देवी पुत्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी महलसरा तहसील आदमपुर
20. मैना पत्नि नत्थूराम जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
21. अनिल कुमार पुत्र नत्थूराम जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
22. महेन्द्रसिंह पुत्र नत्थूराम जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
23. मैना देवी पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
24. कोयल देवी पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई निवासी भोडिया खेडा बिश्नोईयान तहसील आदमपुर
25. शान्ति पत्नि अमरसिंह जाति जाट निवासी ... तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
26. राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

दावा बाबत ईस्तकरार हक, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, आर टी एक्ट।

निर्णय

दिनाक :–

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रौही मौजा 1 एम एस आर, पटवार हल्का भोजासर के मु. नं. 40 के किला नं. 1 ता 25, मु0 नं0 41 के किला नं. 1 ता 19, कुल किता 44 की 11.132 हैक्टर, नहरी 6.325 हैक्टर, बारानी 4.807 हेक्टर हुआ करती थी। उक्त आराजी वादी के मौरूशाला जिसुख व उसके भतीजा सदासुख के संयुक्त परिवार के रहते हुवे जिसुख के कर्ता खानदान होने के कारण कीमतन अलौट हुई थी जिस बाबत सदासुख के वारिसान छज्जूराम व आत्माराम ने न्यायालय उखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा मे एक अर्जीदावा संख्या 211/03 बअनुवानी छज्जूराम वगैरह बनाम बुधराम वगैरह पेश किया था जो दिनांक 17.05.2003 को डिक्री हो गया और मुताबिक डिक्री उक्त दावा के वादीगण को वाद भूमि मे 1/4 हिस्सा चक नं. 1 एम एस आर के मु0 नं0 40 के किला नं. 11 व 16 ता 25 कुल किता 11 का खातेदार कास्तकार घोषित कर खाता विभाजन कर दिया। उक्त अर्जीदावा का डिक्री का नामान्तरण दर्ज करते समय मु. नं. 40 के किला नं. 11 व 16 ता 25 कुल किता 11 की 2.783 हैक्टर का खाता वादीगण छज्जूराम, आत्माराम पि0 सदाखुख के नाम से कर दिया व मु. नं. 40 के किला नं. 1 ता 10, 12 ता 15, मु. नं. 41 के किला नं. 1 ता 19, कुल किता 33 की 8.349 हैक्र का उस अर्जीदावा के प्रतिवादीगण के नाम बिना हिस्सा कस्सी खोले गलत रूप से नामान्तरण दर्ज कर दिया, उक्त नामान्तरण बमुकाबले वादीगण शुन्य व प्रभावहीन है और जिसुख के वारिसान चुन्नीराम, बुधराम व धोंकलराम के नाम से 1/3– 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिऐ था लेकिन हल्का पटवारी ने गलत रूप से जिसुख के बेटे बुधराम व धोंकल के वारिसान् भजनलाल, पृथ्वीसिंह व चुन्नीराम के लडके सोहन, हजारी, बृजलाल व चुन्नीराम की लड़की रामी देवी के वारिसान के नाम से बिना हिस्सा कस्सी खोले गलत रूप से दर्ज हो गया जिससे वादीगण की गलत हिस्सा कस्सी दर्ज हो गई, उक्त गलत हिस्सा कस्सी दर्ज रहने से वादीगण की हकतल्फी होती है, जिससे वादीगण राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण न्यायालय से यह घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी चक 1 एम एस आर के खाता संख्या 55/54 के मु. नं. 40 के किला नं. 1 ता 10, 12 ता 15 कुल किता 14 की 3.5420 हेक्टर, मु0 नं0 41 के किला नं. 1 ता 19 कुल किता 19 की 4.8070 हैक्टर बारानी कुल किता 33 की 8.3490 हेक्टर, नहरी 3,5420 हैक्टर, बारानी 4.8070 हेक्टर मे वादीगण संख्या 1 व 2 का 1.392 हैक्टर बहिस्सा बराबर व वादी नं. 3 का 0.556 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1.392 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी नं. 3 ता 6 का 0.696 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादीगण नं. 7 ता 12 का संयुक्त [illegible] बराबर, प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 का संयुक्त रूप से 0.464 [illegible] प्रतिवादी संख्या 18, 19, का संयुक्त रूप से 0.093 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 20 [illegible] रूप से 0.556 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 23 का 0.556 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 24 का 0.556 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 25 का 1.392 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन है। प्रतिवादीगण के नाम से उनके हक हिस्से से अधिक भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
[illegible] (जिला-हनुमानगढ़)

उनके नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने से उनके होंसले बुलंद है और वे वादीगण को नातिलाफी नुकसान पहुंचाने की गर्ज से वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की धमकी दी है अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने मे कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सूरत मे नही हो सकेगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ इस इमर की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के कानूनी अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नही करे आदि आदि तथ्यों का अर्जीदावा पेश किया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 7, 9 ता 18, 20 ता 25 उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6, 8, 19, 26 ने जवाब दावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने से तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही समझी गई। वादी ने साक्ष्य वादी मे सुन्दर पुत्र भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी धांगड़ तहसील व जिला फतेहाबाद का शपथ पत्र मुख्य परीक्षा पेश किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे नामान्तरण रजि0 चक 1 एमएसआर की प्रति प्रदर्श 1, सत्य प्रति जमाबन्दी संवत 2060–63 खाता संख्या 27/80 प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 55/54 प्रदर्श 3, निणर्य प्र0सं0 211/03 प्रदर्श 4, पर्चा डिक्री प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र तहसीलदार फतेहाबाद 6, वारिस प्रमाण पत्र तहसीलदार आदमपुर प्रदर्श 7, 8, 9 व 11 सरपंच ग्राम पंचायत धागड़ द्वारा सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी व अनुतोष अर्जीदावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण किया गया। वादीगण ने इन तथ्यो का अर्जीदावा पेश किया है कि वादीगण न्यायालय से यह घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी चक 1 एम एस आर के खाता संख्या 55/54 के मु. नं. 40 के किला नं. 1 ता 10, 12 ता 15 कुल किता 14 की 3.5420 हेक्टर, मु0 नं0 41 के किला नं. 1 ता 19 कुल किता 19 की 4.8070 हैक्टर बारानी कुल किता 33 की 8.3490 हेक्टर, नहरी 3,5420 हैक्टर, बारानी 4.8070 हेक्टर मे वादीगण संख्या 1 व 2 का 1.392 हैक्टर बहिस्सा बराबर व वादी नं. 3 का 0.556 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1.392 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी नं. 3 ता 6 का 0.696 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादीगण नं. 7 ता 12 का संयुक्त रूप से 0.696 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 का संयुक्त रूप से 0.464 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी [illegible] 19, का संयुक्त रूप से 0.093 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 [illegible] 0.556 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 23 का 0.556 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 24 का 0.556 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 25 का 1.392 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 स0 209/20 अनुवान सुन्दर आदि बनाम हजारी आदि अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट

पत्रावली मे प्रस्तुत जमांबंदी प्रदर्श 2 से यह साफ रोशन है कि जिसुख वल्द बिसना की रोही मौजा 1 एम एस आर मे कुल 11.132 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि हुआ करती थी व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के अर्जीदावा संख्या 211/03 के निर्णय व डिक्री से छजूराम, आत्माराम के नाम से 2.783 हैक्टर के खातेदार काश्तकार हो गये व 8.349 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि का जिसुख के वारिसान के नाम से नामान्तरण दर्ज हो गया जो बिना हिस्सा कस्सी खोले दर्ज हो गया। मौजुदा जमाबंदी जो प्रदर्श 3 है के खाता नं. 55/54 मे जिसुख के वारिसान के नाम से वाद भूमि दर्ज है, लेकिन उनकी हिस्सा कस्सी अलग अलग दर्ज नही है, जिससे यह साबित है कि जिसुख के वारिसान के नाम से हिस्सा कस्सी गलत दर्ज हुई है। जिसे दुरूस्त किये जाने का वादीगण ने अर्जीदावा पेश किया है।

अतः वाद वादीगण साबित होने पर मुताबिक राजीनामा व अर्जीदावा अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 1 एम एस आर के खाता संख्या 55/54 के मु. नं. 40 के किला नं. 1 ता 10, 12 ता 15 कुल किता 14 की 3.5420 हेक्टर, मु0 नं0 41 के किला नं. 1 ता 19 कुल किता 19 की 4.8070 हैक्टर बारानी कुल किता 33 की 8.3490 हेक्टर, नहरी 3,5420 हैक्टर, बारानी 4.8070 हेक्टर मे वादीगण संख्या 1 व 2 का 1.392 हैक्टर बहिस्सा बराबर व वादी नं. 3 का 0.556 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1.392 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी नं. 3 ता 6 का 0.696 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादीगण नं. 7 ता 12 का संयुक्त रूप से 0.696 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 का संयुक्त रूप से 0.464 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 18, 19, का संयुक्त रूप से 0.093 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 सुयंक्त रूप से 0.556 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 23 का 0.556 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 24 का 0.556 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 25 का 1.392 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/04/2021 को [illegible] या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़ (seal)

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़